"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च 2014—चैत्र 7, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजय ध्रुव मारकोले पिता श्री मनिहार सिंह, उम्र 32 वर्ष, जाति गोंड़, निवासी ग्राम पोस्ट घटुला, तहसील नगरी, थाना सिहावा, जिला धमतरी (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम संजय कुमार ध्रुव अंकित है. मैं अपने नाम में "कुमार" शब्द को विलोपित कर अपना नया नाम संजय ध्रुव मारकोले रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे संजय ध्रुव मारकोले पिता श्री मनिहार सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

संजय कुमार ध्रुव
पिता-श्री मनिहार सिंह
निवासी-ग्राम घटुला, तहसील नगरी, थाना सिहावा
जिला-धमतरी हाल थाना केम्प दोरनापाल जिला सुकमा

नया नाम

संजय ध्रुव मारकोले
पिता-श्री मनिहार सिंह
निवासी-ग्राम घटुला, तहसील नगरी, थाना सिहावा
जिला-धमतरी हाल थाना केम्प दोरनापाल जिला सुकमा

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मीना ध्रुव मारकोले पति श्री संजय ध्रुव मारकोले, उम्र 32 वर्ष जाति गोंड़, निवासी पुलिस थाना केम्प दोरनापाल, तहसील कोन्टा, जिला सुकमा (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम कु. मीना माहिलकर पिता श्री धनेश्वर माहिलकर निवासी ग्राम मरौद, तह. कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.) अंकित है. मेरा विवाह दिनांक 19-8-2013 को श्री संजय ध्रुव मारकोले पिता स्व. श्री मनिहार सिंह ध्रुव के साथ सामाजिक रीति रिवाज अनुसार हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती मीना ध्रुव मारकोले रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती मीना ध्रुव मारकोले पति श्री संजय ध्रुव मारकोले के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. मीना माहिलकर पिता-श्री धनेश्वर माहिलकर निवासी-ग्राम मरौद, तहसील कुरूद जिला धमतरी (छ.ग.)	श्रीमती मीना ध्रुव मारकोले पति-श्री संजय ध्रुव मारकोले निवासी-पुलिस थाना केम्प दोरनापाल तह. कोन्टा जिला सुकमा (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. बीना जोशी पिता स्व. बिसाहू राम जोशी थी. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती वीणा तिवारी पति श्री रमेश कुमार तिवारी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती वीणा तिवारी पति श्री रमेश कुमार तिवारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. बीना जोशी पिता-स्व. बिसाहू राम जोशी	श्रीमती वीणा तिवारी पति-श्री रमेश कुमार तिवारी निवासी-राम कुंज, अशोक नगर, सरस्वती शिशु मंदिर रोड बिलासपुर (छ.ग.) पिन 495006

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, खोकन पाल वल्द श्री पी. सी. पाल, उम्र 44 वर्ष, निवासी क्वार्टर नं. 13/ए, सड़क नं. 06, सेक्टर-2, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयत्र के डब्लू. एम. डी. डिपार्टमेन्ट 2.5 एम.टी. में सिनियर आपरेटर के पद पर कार्यरत हूं. यह कि मेरे सर्विस बुक में मेरी पत्नी का नाम भूलवश श्रीमती पुष्पिता रानी दर्ज हो गया है. मैं अपनी पत्नी का नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती पुष्पिता पाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पत्नी को श्रीमती पुष्पिता पाल पति श्री खोकन पाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

पुष्पिता रानी
पति-श्री खोकन पाल
निवासी-क्वा. नं. 13/ए, सड़क नं.-6, सेक्टर-2, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

श्रीमती पुष्पिता पाल
पति-श्री खोकन पाल
निवासी-क्वा. नं. 13/ए, सड़क नं.-6, सेक्टर-2, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गैंदलाल कोरटिया आत्मज श्री देवार सिंह कोरटिया, जाति हल्बा, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम संजारी, तहसील डौंडीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र के अन्तर्गत दल्ली राजहरा माइंस में लोकोशेड विभाग में टेक्निशियन के पद पर कार्यरत हूं. मेरा वास्तवित नाम गैंदलाल कोरटिया है जो मतदाता सूची, बैंक खाता व अन्य दस्तावेजों में अंकित है परन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम गैंदलाल कोरेसी अंकित होने के कारण मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम गैंदलाल कोरेसी दर्ज है. मैं अपने उपनाम कोरेसी को परिवर्तित कर नया नाम गैंदलाल कोरटिया रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे गैंदलाल कोरटिया पिता श्री देवार सिंह कोरटिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

गैंदलाल कोरेसी
पिता-श्री देवार सिंह कोरटिया
निवासी-ग्राम संजारी, तह. डौंडीलोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.)

नया नाम

गैंदलाल कोरटिया
पिता-श्री देवार सिंह कोरटिया
निवासी-ग्राम संजारी, तह. डौंडीलोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2014

रा. प्र. क्र./ /ब-113 (1)/2013-2014

क्रमांक/17/2/अ.वि.अ./न्यास (ट्रस्ट)/2014/376.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती अनु जैरानी पति **डॉ. प्रहलाद** जैरानी, निवासी जगन्नाथ मंदिर के पीछे ए-27 गायत्री नगर रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा "श्री एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट (न्यास)" गायत्री नगर रायपुर को छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4(1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को **पब्लिक ट्रस्ट** के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट (न्यास) अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट (न्यास) के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करे और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से दिनांक 19-03-2014 को उपस्थित होवे. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 18-02-2014 को जारी.

अनुसूची

(ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	ट्रस्ट का नाम व पता	:	श्री एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट (न्यास) गायत्री नगर रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	बैंक ऑफ बड़ौदा विवेकानंद नगर रायपुर पास बुक क्रमांक-24260200000656 में जमा रु. 10,000.00 दस हजार नगद.
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

बी. सी. साहू,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.